

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्र.क.कमांक-12 / 2011  
 संस्थित दिनांक-08.07.2011

1-श्रीमति लता पति नरेन्द्र खोब्रागढ़े, उम्र 23 वर्ष,  
 निवासी-सिंगबाघ (बैहर), तहसील बैहर,  
 हाल मुकाम-करमसरा, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-तरुण पिता नरेन्द्र खोब्रागढ़े, उम्र 01 वर्ष, नाबालिक  
 वली माँ श्रीमति लता पति नरेन्द्र खोब्रागढ़े,  
 निवासी-सिंगबाघ (बैहर), तहसील बैहर,  
 हाल मुकाम-करमसरा, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आवेदकगण

// **विरुद्ध** //

नरेन्द्र खोब्रागढ़े पिता संतराम खोब्रागढ़े, उम्र 25 वर्ष,  
 निवासी-सिंगबाघ (बैहर), तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- अनावेदक

// **आदेश** //

**(आज दिनांक-06 / 01 / 2015 को पारित)**

1- इस आदेश द्वारा आवेदकगण द्वारा अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका क्रमांक-1, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है तथा उनके दामपत्य जीवन के संसर्ग से आवेदक क्रमांक-2 उत्पन्न हुआ। आवेदिका क्रमांक-1 वर्तमान में अपने पुत्र के साथ मायके में निवासरत है।

3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदिका क्रमांक-1 का अनावेदक से दिनांक-22.03.2009 को जाति-रीति-रिवाज के अनुसार विवाह समपन्न हुआ था, जिसके पश्चात् वह ससुराल सिंगबाघ बैहर में अनावेदक के साथ सुखमय दामपत्य जीवन निर्वाह कर रही थी। आवेदिका क्रमांक-1 को अनावेदक व

उसके परिवार वाले विवाह के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने पर से उसे ताने देकर मायके से नगद राशि लाने का कहकर प्रताड़ित करने लगे थे। आवेदिका क्रमांक-1 व उसके माता-पिता ने अनावेदक व उसके परिवार वालों को समझाने का प्रयास किया, किन्तु अनावेदक नहीं माना और आवेदिका के गर्भावस्था के दौरान भी उसे मारपीट कर खाने-पीने की तकलीफ व अन्य प्रकार की तकलीफ देने लगे तथा इसी बीच दिनांक-18.06.2010 को आवेदिका क्रमांक-1 को पुत्र आवेदक क्रमांक-2 का जन्म हुआ। अनावेदक ने जुलाई 2010 में आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके पश्चात् आवेदिका क्रमांक-1 अपने पुत्र को लेकर मायके में निवास कर अनावेदक का इंतजार करती रही, किन्तु अनावेदक के द्वारा कोई खोज-खबर न लेने पर उसने समाज की बैठक रखी, जिसमें अनावेदक व उसके रिश्तेदार उपस्थित हुये। उक्त बैठक में अनावेदक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये भविष्य में आवेदिका को कोई तकलीफ न देने और प्रताड़ित न किये जाने का आश्वासन देते हुये एक इकरारनामा भी तैयार किया। उक्त समझौता के बाद आवेदकगण को कुछ दिन अनावेदक ने अपने साथ रखा और पुनः दहेज की मांग को लेकर आवेदिका क्रमांक-1 को मारपीट कर प्रताड़ित करते हुये जून 2011 में घर से निकाल दिया, तब से आवेदिका क्रमांक-1 अपने पुत्र आवेदक क्रमांक-2 को लेकर मजबूरन मायके में निवासरत् है। आवेदिका के पास आय का कोई जरिया नहीं है। अनावेदक हफ्त-पुष्ट व्यक्ति होकर राज मिस्त्री का कार्य करते हुये 7,500/- (सात हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह आय अर्जित करता है। अतएव आवेदकगण को 5,000/- (पांच हजार रुपये) प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि अनावेदक से दिलाया जावे।

4- अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि आवेदिका ने विवाह के दूसरे दिन से ही अनावेदक के घर के रहन-सहन और कमाई का जरिया न होना कहते हुये ससुराल में न रहकर मायके में रहने की जिद करने लगी। अनावेदक द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 के साथ उसके मायके में निवास करने से मना करने पर आवेदिका क्रमांक-1 ने दहेज के संबंध में झूठे लांछन लगाया। अनावेदक विवश होकर अपने परिवार से अलग होकर अपने परिवार से अलग आवेदिका क्रमांक-1 के साथ किराये के मकान में निवास करने लगा, इसी दौरान पुत्र तरुण का जन्म हुआ। इसके पश्चात् आवेदकगण को अनावेदक ने अपने घर ले जाना चाहा तो आवेदिका क्रमांक-1 ने इंकार कर पुत्र को लेकर अपने मायके चली गई। समाज की बैठक में अनावेदक पर दबाव डालकर आवेदिका के पिता व रिश्तेदारों ने एक स्टाम्प पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिये। उक्त बैठक के बाद अनावेदक, आवेदिका को अपने घर ले आया। अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक-1 से दहेज की मांग नहीं की और न ही उसके लिए कभी मारपीट

की है। आवेदिका क्रमांक-1 ने झूठी कहानी गढ़कर बेबुनियाद आधार पर यह आवेदन पेश किया है। अनावेदक, आवेदकगण को अपने साथ सुखमय दामपत्य जीवन के निर्वहन हेतु प्रयासरत् है तथा आवेदिका क्रमांक-1 अपनी मर्जी से बिना किसी कारण से अपने मायके में निवास कर रही है। आवेदिका क्रमांक-1 सिलाई-कढ़ाई का कार्य कर आय अर्जित करती है तथा अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। अतएव आवेदकगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका क्रमांक-1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदकगण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?
3. क्या आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु क्रं.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका लता (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनावेदक ने उसे और उसके पुत्र को बारसा के लिये उसके चाचा के यहां लाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बिना बारसा किये स्वयं वापस चली गई। साक्षी का स्वतः कथन है कि बारसा में अनावेदक ने उसके साथ मारपीट किया और उसके बाबुजी को बोला कि अपनी लडकी की जिंदगी चाहते हो तो तुरन्त ले जा लो नहीं तो मैं इसे जान से खत्म कर दूंगा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह खेती-बाड़ी के काम पर जाती है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि वह दिन की एक ही पारी में काम पर जाती है और बच्चा छोटा होने के कारण पूरा दिन काम नहीं कर पाती है। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

7- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी दीनानाथ (आ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका क्रमांक-1 और अनावेदक आपस में पति-पत्नी है। आवेदिका को अनावेदक के द्वारा विवाह के 6 माह बाद ही अपने घर से भगा दिया गया था। आवेदिका ने उसे बताया था कि उसे कम दहेज लाने पर से उसे अनावेदक मारपीट कर प्रताड़ित करता था। अनावेदक को गांव समाज के लोगों ने मिटिंग कर समझाईश दी थी, जिस पर आवेदिका, अनावेदक के घर रहने गई थी, किन्तु अनावेदक ने मारपीट कर भगा दिया था। अनावेदक राज मिस्त्री का काम कर प्रतिदिन 250/- (दो सौ पचास रुपये) कमा लेता है। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में

अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

8— अनावेदक नरेन्द्र (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि आवेदिका उसकी विवाहित पत्नि है। आवेदिका विवाह के पश्चात् उसके घर 15 दिन तक निवास की थी, उसके पश्चात् किराये के मकान में रहने का बोलने लगी। आवेदिका ने किराये के मकान में रहने के दौरान उसके खाने-पीने का कोई ख्याल नहीं रखा, इसी दौरान उसके पुत्र का जन्म हुआ। आवेदिका अपने मायके जाने का बोलने पर वह भी उसके साथ मायके में रहने लगा। आवेदिका के द्वारा गलती किये जाने पर डाटने पर उसकी सास उसे अपशब्दों को प्रयोग करती थी। आवेदिका को उसने साथ ले जाने का प्रयास किया, किन्तु आवेदिका के माता-पिता ने साथ में भेजने से मना कर दिया। सामाजिक मिटिंग में आवेदिका के पिता ने इकरारनामा बिना पूछे बनवाकर आवेदिका को साथ में भेजने की शर्त पर इकरारनामा में गलत बात लिखवाकर उस से हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसके बाद उसने आवेदिका को किराये के मकान में अपने साथ एक साल रखा। उसके ससुर ने आवेदिका व उसके बच्चे को झूठ बोलकर अपने साथ ले गये, बाद में उसके ससुर ने आवेदिका को उसके साथ भेजने से इंकार कर दिया। उसने थाना मलाजखंड में रिपोर्ट की थी, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श डी-1 है तथा परिवार परामर्श केन्द्र में भी परिवार पेश किया था, जिसकी प्रति प्रदर्श डी-2 है। आवेदिका उसके साथ बिना कारण के रहने से इंकार कर रही है।

9— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इकरारनामा प्रदर्श पी-1 को दिखाये जाने पर उसने उस पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उससे दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाये गये थे। साक्षी ने इकरारनामा प्रदर्श पी-1 पर दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाये जाने का तथ्य प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में पुलिस को की गई शिकायत में उल्लेख नहीं कराया है। साक्षी के द्वारा कथित दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाये जाने का तथ्य मनगढ़ंत एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। वास्तव में इकरारनामा प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदक ने उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हुये भविष्य में किसी भी प्रकार की मांग न किये जाने और आवेदिका को तकलीफ न देने का आश्वासन देकर सहमति पत्र निष्पादित किया है। अतएव प्रकरण में आयी मौखिक साक्ष्य एवं उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक-1 को दहेज की मांग पर से मारपीट कर प्रताड़ित करते हुये घर से भगा दिया या उसे मायके में रहने के लिये मजबूर कर दिया। ऐसी दशा में आवेदिका क्रमांक-1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण होना प्रकट होता है।



10— अनावेदक का राज मिस्त्री के रूप में कार्यरत् होकर 250/-रूपये प्रतिदिन आय अर्जित करने के तथ्य का खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि अनावेदक राज मिस्त्री का कार्य करते हुये लगभग 6000/-रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है। अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक-1 के द्वारा सिलाई-कढ़ाई कर, आय अर्जित करने का कथन किया है, जिसके संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है। यद्यपि स्वयं आवेदिका लता (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में मजदूरी करने जाने को स्वीकार किया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका खेती-बाड़ी के काम कर अपना व अपने बच्चे का भरण-पोषण कर रही है, तब भी अनावेदक का आवेदकगण के भरण-पोषण करने का विधिक दायित्व है, जिससे वह उक्त आधार पर बच नहीं सकता।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है। आवेदकगण को अनावेदक की पत्नी एवं संतान के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वे अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

12— उपरोक्त संपूर्ण कारणों से आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवन यापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण-पोषण के रूप में आवेदक क्रमांक-1 को राशि 700/- (सात रूपये) तथा आवेदक क्रमांक-2 को 500/- (पांच सौ रूपये) प्रतिमाह आदेश दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट